बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री रमाशंकर सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– कटरा, जिला– मुजफ्फरपुर से प्राप्त पत्र दिनांक– 23.12.2017 तथा अधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ (कैमूर) के पत्रांक– 1910 दिनांक– 26.12.2017 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मोहनिया थाना काण्ड स0- 578/2016 में श्री सिंह अभियुक्त है तथा उन्हें दिनांक– 08.12.2017 से न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भभुआ में निरूद्ध किया गया है ।

2. उक्त सूचना के आलोक में श्री रमाशंकर सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– कटरा, जिला- मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के नियम 9(1)(क) एवं 9(1)(ग) तथा 9(2)(क) के अन्तर्गत दिनांक 08.12.2017 (कारा–निरोध की तिथि) के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. जेल से रिहा होने के उपरान्त निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मगध प्रमंडल गया रहेगा ।

4. निलम्बन अवधि में श्री रमाशंकर सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– कटरा, जिला– मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0(कोर्टकेश)–39/2016 – 184 /खाद्य,पटना/ दिनांक 11·01·18

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कैमूर/उप निदेशक (खाद्य), मगध प्रमंडल गया/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ कैमूर /प्रशाखा पदाधिकारी-03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री रमाशंकर सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– कटरा, जिला– मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/I/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।